

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्या: 18/2023

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

सुरेश पुत्र मंछा जी, काली देवी, पुष्पा पुत्रियां मंछा जी, जाति-राजपूत, निवासी-सिलासन, तह. रानीवाडा, जिला-जालोर, हाल निवासी-जैतावाडा, तहसील- रेवदर

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970”

उपस्थिति:

1. परोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक 30 जनवरी, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम जैतावाडा, पटवार हल्का जैतावाडा के खसरा संख्या 591/1138 रकबा 4.00 बीघा किस्म ब. 3 भूमि का उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के द्वारा वर्ष 1975 में गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि का मौके पर आवंटि को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 178 से राजस्व रेकॉर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक आवंटि/अप्रार्थी का कब्जा काशत लगातार नहीं चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नहीं है एवं काशत भी दर्ज नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के आरे से परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

(3) विद्वान परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम जैतावाडा, पटवार हल्का जैतावाडा के खसरा संख्या 591/1138 रकबा 4.00 बीघा किस्म ब.3 भूमि का उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के द्वारा गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि का मौके पर आवंटित को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकॉर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक अप्रार्थी का कब्जा काशत लगातार नहीं चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नहीं है एवं काशत भी दर्ज नहीं है। अप्रार्थी/आवंटि द्वारा आवंटन का शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी/आवंटि को उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे।



अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)



.पेज दो पर

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मंछा पुत्र छोगा जी राजपूत, निवासी—जैतावाडा को ग्राम जैतावाडा, पटवार हल्का जैतावाडा के खसरा संख्या 591 मी. रकबा 4.00 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। उक्त आवंटित भूमि का आवंटि मंछा पुत्र छोगा जी राजपूत को कब्जा सुपर्द किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 28.4.1976 के द्वारा आवंटित भूमि आवंटि के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 591/1138 रकबा 4.00 बीघा किस्म ब.3 अप्रार्थीगण के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज है। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन है कि “आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है, तब से आज तक आवंटि/अप्रार्थी का कब्जा काशत लगातार नहीं चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नहीं है एवं काशत भी दर्ज नहीं है।”

प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथन के समर्थन में प्रार्थना पत्र के साथ केवल संवत 2076—2079 की खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की है, जिसका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि संवत 2076 में उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा मूंगफली व गेहूं की फसल की काशत की गई है। संवत 2077 में मूंगफली के फसल की काशत की गई है। संवत 2078 में मूंगफली व रायडा के फसल की काशत दर्ज है। इसी तरह, संवत 2079 में भी मूंगफली के फसल की काशत दर्ज है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन माना जाने योग्य नहीं है कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा—काशत नहीं हो। यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पटवारी हल्का, जैतावाडा की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 06.12.2022 प्रस्तुत की गई है, लेकिन पटवारी हल्का, जैतावाडा द्वारा दिनांक 06.12.2022 को मौके की जांच अप्रार्थीगण की उपस्थिति में नहीं की गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का, जैतावाडा द्वारा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की जांच किये बिना ही मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई है, इसलिये पटवारी हल्का, जैतावाडा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर (भू.अ.) सिरौही को पत्र जारी किया जावे।

चूंकि प्रकरण में, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर यह साबित करने में असफल रहे हैं कि आवंटि/अप्रार्थीगण का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा—काशत नहीं हो। विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी.2004(1) पृष्ठ 352—356 में माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आवंटित भूमि पर यदि बरसात के अभाव में कभी कभी 2—4 वर्षों में लगातार काशत नहीं हो पाती है व इसी आधार पर यदि गिरदावरी में भी कोई काशत दर्ज नहीं होती है तो इससे आवंटि के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का प्रार्थना पत्र सारहीन होने व साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकारी दिये जाने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 30 जनवरी, 2024 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरौही